

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/

प्रार्थी :-

941

1. बांकाराम
2. रामाराम
3. लिछमणाराम
4. तेजाराम पि. तगाराम
5. हेमी पत्नि तगाराम, जाति जाट, निवासी चूली डूंगरी तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

दिनांक

22/04/2022

विप्रार्थीगण:-

1. वीरमाराम पुत्र मगनाराम
2. दीपाराम पुत्र नवलाराम
3. भोमाराम
4. कानाराम
5. दमाराम
6. भंवराराम
7. तेजाराम पि. खेमाराम
8. चुतराराम पुत्र आदूराम
9. भारूराम पुत्र लाखाराम
10. बांकाराम
11. अमराराम पि. गुमनाराम
12. भूराराम पुत्र मेहराजराम
13. सुखाराम
14. वालाराम पि. भेराराम
15. जेताराम पुत्र रायचन्द
16. हनुमानराम पुत्र मेहराण, जातियान जाट, निवासी चूली डूंगरी, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 301/2018

दिनांक : 22.04.2022

### आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र चौहटन के मौजा चूली डूंगरी के खेत खसरा सं. 32 रकबा 06.04 बीघा, खसरा सं. 119 रकबा 00.06 बीघा, खसरा सं. 120 रकबा 17.14 बीघा, खसरा सं. 176 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 177 रकबा 86.18 बीघा, खसरा सं. 352/116 रकबा 81.16 बीघा, खसरा सं. 354/116 रकबा 07.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 942 to 945

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण बांकाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण वीरमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक

22/04/2022



उपखण्ड अधिकारी

चौहटन